राजीवगांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला – एक प्रसंग

❑ अजय गुप्ता

यह अवलोकन रपट एक ढ़ाणी में जाकर वहां चल रही राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला के अवलोकन और शिक्षकों व गांव वालों से बातचीत के आधार पर लिखी गई है । इस विवरण से इन पाठशालाओं की आवश्यकता और समुदाय द्वारा इन्हें मिल रहे समर्थन का पता चलता है । लेकिन वहीं इन शालाओं में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया पर सवाल भी बनते हैं । इस रपट में आया जाति भेद प्रसंग समुदाय में व्याप्त उस मानसिकता को बताता है जो किसी भी सामूहिक उपक्रम में दरार डालने और परस्पर घृणा फैलाने में आज भी समर्थ है । बच्चों को शाला में घूघरी खिलाने की सरकारी योजना में जातिभेद का ऐसा असर जब राजधानी के इतने निकट दिख रहा है तो दूरस्थ अंचलों में स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालायें खोलने का निर्णय राज्य सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया था । राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-दराज के गांव एवं ढाणी में तथा शहरी क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक जुलाई 1999 को ये पाठशालायें खोलने का निर्णय लिया गया था । पाठशालायें ऐसे गांव ढाणी या कच्ची बस्ती में खोलने का प्रावधान था जहां एक से दो किलोमीटर तक पढने की सुविधा न हो तथा पढ़ने के लिए लगभग 200 या अधिक आबादी में 6 से 11 वर्ष के 25 से 40 बच्चे उपलब्ध हों ।

राज्य में एक जुलाई 1999 को इस तरह की पाठशालाऐं प्रारंभ करने के निर्णयानुसार राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर की सांगानेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पंवालिया की वाण्यावाली बेरी नामक ढाणी में पहली राजीव गांधी पाठशाला का उद्‌घाटन किया ।

सांगानेर पंचायत समिति की ही एक ग्राम पंचायत की एक राजीव गांधी स्वर्णजयंती पाठशाला का अवलोकन कर यह विवरण तैयार किया गया है । इस ग्राम पंचायत मोहनपुरा में चार राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाऐं प्रारंभ की गईं इनमें से एक अवलोकन वाली ढाणी में है । यह ढाणी मुख्य सड़क पर 12 किलोमीटर दूर तथा सड़क से लगभग दो किलोमीटर अन्दर स्थित है ।

इस ढाणी से लगभग एक से डेढ़ किलोमीटर दूर तीन प्राथमिक सरकारी स्कूल तथा एक राजीव गांधी स्वर्णजयन्ती पाठशाला चल रही है। ग्राम पंचायत में दो अन्य राजीव गांधी पाठशालाओं में एक लगभग 3 किलोमीटर दूर तथा दूसरी लगभग 5 किलोमीटर दूर है ।

इस ढाणी में राजपूतों के 7-8 कच्चे-पक्के बने घर हैं। ढाणी के समीप एक बैरवों (दलित) की बस्ती है । इन दोनों ढाणियों के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती तथा मवेशी पालना है। ढांणी में स्थित पाठशाला में इन्हीं दोनों बस्तियों से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे लेकिन वर्तमान में (जुलाई 2002 से) यहां केवल बैरवों की बस्ती के बच्चे ही अध्ययन हेतु आ रहे हैं ।

पाठशाला की भौतिक स्थिति

पाठशाला का अपना भवन बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए 2 लाख 14 हजार रुपये तथा सरपंच एवं ढाणी के लोगों के सहयोग से बने पक्के भवन में वर्तमान में यह पाठशाला चल रही है । भवन निर्माण से पूर्व यह ढाणी के ही एक घर में चलती थी । पाठशाला के इस भवन के दो तरफ खेत हैं तथा दो तरफ राजपूतों के घर हैं । सामने एक खुला मैदान है जिसमें एक सरकारी नल लगा हुआ है जिसके पानी का प्रयोग विद्यालय में पीने तथा अन्य कार्यों (यथा सफाई, घूघरी पकाना, आदि) में किया जाता है । ढाणी के लोगों द्वारा सामान्यतया इस सरकारी नल के पानी का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि उनका अपना कुआं तथा ट्यूबबैल है । पाठशाला के बगल में एक शौचालय बना हुआ है जिसका उपयोग शिक्षक और बच्चे दोनों समान रूप से करते हैं ।

पाठशाला के इस भवन में दो कमरे (प्रत्येक लगभग 10×18फुट का)तथा एक कार्यालय लगभग 5×7 फुट का है । कमरे आमने-सामने बने हैं तथा कार्यालय एक कमरे के बगल में बना हुआ है। कमरों तथा कार्यालय को एक बरामदा जोड़ता है। पाठशाला भवन चारों ओर से खुला है इसलिए बिजली न होने पर भी प्रकाश एवं हवा की पर्याप्त व्यवस्था है, वर्तमान में छात्र संख्या

कम होने के कारण केवल एक कमरा अध्यापन हेतु उपयोग में आता है । दूसरे कमरे में घूघरी पकाने का सामान रहता है तथा कार्यालय को स्टोर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ।

पाठशाला में सामान के रूप में एक मेज, दो कुर्सियां, एक गोदरेज की छोटी अलमारी, एक रैक, ब्लैक बोर्ड, दरी पट्टियां, रामझरा, नक्शा एवं कुछ चार्ट, फाईलें तथा कुछ रजिस्टर हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पाठशाला के लिए उपलब्ध कराए गए 5400 रूपये से खरीदा गया था । इन रुपयों के अतिरिक्त प्रति वर्ष शिक्षकों को 500 रुपये भी दिए जाते हैं जिससे वह उपस्थिति रजिस्टर, बच्चों की परीक्षा संबंधी सामग्री तथा अन्य आवश्यक स्टेशनरी खरीद सकता है। शिक्षण सामग्री के रूप में कक्षा कक्ष में लटके दो चार्ट (एक वर्णमाला व दूसरा शरीर के अंगों का), स्टोर (कार्यालय) में रखे हुए कुछ कार्डस् व गिनती सिखाने हेतु मणियों के बने दो खिलौने ही थे जिनका उपयोग शायद ही कभी किया जाता हो।

इस सामग्री के अतिरिक्त बच्चों को निशुल्क उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान पाठय पुस्तक मण्डल की पुस्तकें तथा पोषाहार के रूप में घूघरी निर्माण के लिए गेहूं की बोरियां भी थीं ।

शिक्षक

इस स्वर्णजयंती पाठशाला में जुलाई 2002 से जो शिक्षक (इसे शिक्षा सहयोगी कहा जाता है) कार्यरत है, उसकी शैक्षणिक योग्यता एम.ए.बी.एड. है । यह लगभग 15 किलोमीर दूर सांगानेर एयरपोर्ट के पास रहता है तथा बस के द्वारा आता जाता है । पाठशाला में आने के लिए उसे प्रति दिन लगभग दो किलोमीटर पैदल चलना पडता है । इससे पूर्व पाठशाला के प्रारंभ में ही यहां बैरवों की बस्ती में रहने वाला शिक्षक कार्य करता था वह स्वयं भी बैरवा जाति का था। लेकिन अप्रैल 2002 में एक दुर्घटना में उसकी असामयिक मौत हो जाने के कारण यहां नया शिक्षा सहयोगी नियुक्त किया गया है । पूर्व शिक्षक के निधन के बाद अप्रैल तथा मई में पाठशाला बन्द न हो इसलिए यहां अस्थाई तौर पर समीप ही स्थित जयसिंहपुरा पाठशाला की अतिरिक्त महिला शिक्षा सहयोगी को लगा दिया गया था ।

यद्यपि राजीव गांधी पाठशाला प्रारंभ करते समय यह ध्यान रखा गया था कि शिक्षा सहयोगी के रूप में उसी गांव या ढाणी के पढ़े लिखे युवक युवती को लगाया जाए लेकिन बाद में दूर से आने वाले व्यक्तियों को भी अवसर दिया जाने लगा । इसीलिए इस पाठशाला में बाहर के शिक्षक को नियुक्त किया गया है ।

अपने चयन के बारे में मौजूदा शिक्षा सहयोगी का कहना था कि 20 मई, 2002 को ग्राम सभा के माध्यम से मैरिट के आधार पर उनका चयन किया गया था । चयनोपरान्त जून में डिग्गी रोड पर ढाणी कुमावता में 30 दिन का आवासीय प्रशिक्षण दिया गया। 46 अन्य प्रशिक्षणार्थियों के साथ संपन्न हुए इस प्रशिक्षण में उन्हें पहली तथा दूसरी कक्षा पढ़ाने के तरीकों के बारे में बताया गया था।

प्रशिक्षण में शिक्षा से संबंधित सैद्धांतिक चर्चा के विषय में उनका कहना था कि ऐसी कोई चर्चा नहीं होती थी चूंकि हम सभी प्रशिक्षु एस. टी. सी. या बी. एड. प्रशिक्षित थे इसलिए इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी । पढ़ाने के तरीकों के विषय में उनका कहना था कि खेल खेल में मनोरंजन पूर्ण शिक्षा देना, कंकड़, कार्ड, आदि सामग्री का प्रयोग करके पढ़ाना चाहिए ।

शिक्षा सहयोगी को वेतन के रूप में 1200 रुपये माहवार मिलते हैं । वेतन लेने के लिए उसे अपनी महीने भर की उपस्थिति सरपंच से प्रमाणित कराकर ब्लॉक शिक्षा ऑफिस को देनी होती है, तब यहां से उसे वेतन मिलता है । अवकाश लेने के लिए उसे व्यक्तिश: या फोन द्वारा सरपंच को सूचित करना होता है ताकि सरपंच पाठशाला में किसी और को भेज सके ।

अपने कार्य से संतुष्टि के विषय में शिक्षा-सहयोगी का कहना था कि बस कार्य कर रहे हैं अन्यथा बारह सौ रूपये में तो खर्चा भी नहीं चलता । इसी आशा में कार्य कर रहे हैं कि कुछ समय बाद सरकार उन्हें तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में स्थायी कर देगी।

समय सारणी

पाठशाला का समय प्रात: 7:30 से 12:30 बजे तक है। विद्यालय की कोई समय सारिणी नहीं है, न ही कालांश की सूचना हेतु घण्टी लगाने की व्यवस्था है । लेकिन शिक्षक ने अपनी सुविधानुसार समय का विभाजन कर रखा है । बच्चे प्रात: 7.00 बजे आकर सफाई करते हैं । चूंकि शिक्षक सांगानेर (15 किलोमीटर दूर) से बस द्वारा आता है अत: वह 7:30 तक ही पहुंच पाता है, यदि वह जल्दी आ जाता है तो ही बच्चों का सहयोग करता है, लेकिन वस्तुत: शिक्षक की सफाई में भागीदारी नगण्य ही रहती है । 7.30 बजे वन्दना होती है । 8 बजे से 9.30 बजे तक गणित व हिन्दी की पढ़ाई होती है । 9.30 से 10.30 बजे तक मध्यान्तर तथा 10.30 से 12.30 तक अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन चौथी एवं पांचवीं में विज्ञान व सामाजिक ज्ञान का अध्यापन किया जाता है । मध्यान्तर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार बच्चों को पोषाहार के रूप में घूघरी (गेहूं को पानी में उबालकर तथा उसमें गुड या चीनी डालकर बनने वाला खाद्य पदार्थ) खाने के लिए दी जाती है। घूघरी पकाने के लिए पाठशाला में पृथक से एक महिला कर्मचारी आती है । बच्चों को खाने के लिए घूघरी जुलाई 2002 से दी जाने लगी है, इससे पूर्व उन्हें गेहूं ही दिया जाता था ।

नामांकन

जुलाई 1999 से चल रही इस पाठशाला में प्रथम चरण में पहली व दूसरी कक्षा में नामांकन किया गया था तथा प्रतिवर्ष एक एक कक्षा क्रमोन्नत होते हुए सम्प्रति यह पांचवी तक चल रही है। पांचवी कक्षा इसी वर्ष आरंभ की गई है । जुलाई 1999 से 2002 तक के कक्षावार कुल नामांकन को निम्न तालिका द्वारा प्रस्तुत किया गया है -

कक्षा/सत्र	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
I	26	20	15	10
II	15	15	16	4
III	-	13	5	7
IV	-	-	13	3
V	-	-	-	6

इस तालिका में प्रतिवर्ष जुलाई में होने वाले नामांकन को दर्शाया गया है । यद्यपि जुलाई के बाद भी पहली कक्षा में कुछ बच्चों का नामांकन किया गया था यथा - 1999 में अगस्त तथा सितम्बर में दो-दो बच्चों का नामांकन किया गया था । इसी प्रकार 2000 में नवम्बर में एक बच्चे का तथा 2001 में दिसम्बर में दो बच्चों का नामांकन किया गया ।

पाठशाला में सत्रानुसार बालक तथा बालिकाओं के नामांकन की स्थिति इस प्रकार है -

कक्षा/सत्र	बालक	बालिका	कुल
1999/2000	19	22	41
2000/2001	23	25	48
2001/2002	24	25	49
2002/2003	9	21	30

यदि जातिगत दृष्टि से देखें तो इस विद्यालय में नामांकित होने वाले बच्चे राजपूत और बैरवा ही हैं । 1999 में सत्र के मध्य में कुछ ब्राह्मण बच्चों का नामांकन भी हुआ था लेकिन कुछ समय बाद वे अन्यत्र अध्ययन हेतु जाने के लिए पाठशाला छोड़ कर चले गये । जातिवार नामांकन को अग्रलिखित तालिका में दर्शाया गया है ।

कक्षा/सत्र	1999/2000		2000/2001		2001/2002		2002/2003	
	बैरवा	राजपूत	बैरवा	राजपूत	बैरवा	राजपूत	बैरवा	राजपूत
I	17	9	13	7	10	5	10	-
II	11	4	12	3	12	4	4	-
III	-	-	9	4	4	1	7	-
IV	-	-	-	-	9	4	3	-
V	-	-	-	-	-	-	4	2

(ब्राह्मण बच्चों का नामांकन कुछ महीने के लिए व सत्र के बीच में होने के कारण उसका उल्लेख तालिका में नहीं किया गया है ।)

ऊपर उल्लेखित तीनों तालिकाओं के अध्ययन से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं -

1. बच्चों के नामांकन में निरन्तर गिरावट आई है, यथा- पहली कक्षा में 1999 में 26 बच्चों का नामांकन था, 2000 में 20 बच्चे, 2001 में 15 तथा 2002 में कुल 10 बच्चे ही नामांकित रह गए । कमोबेश सभी कक्षाओं की यही स्थिति है ।

2. नामांकन में आई गिरावट प्रारंभ में कम थी लेकिन जुलाई 2002 में नामांकन में एकाएक बहुत अधिक गिरावट आई है ।

3. लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का नामांकन प्रतिवर्ष अधिक ही रहा है । यह जहां अच्छी स्थिति को दर्शाता है वहीं इसमें एक बात यह भी निहित है कि घर से दूर विद्यालय में जाने के अवसर लड़कियों को कम ही मिलते हैं । और यदि उन्हें समीप में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जायें तो वे आसानी से पढ़ सकती है । इसके अतिरिक्त यह उनमें पढ़ने के प्रति रुचि को भी प्रदर्शित करता है ।

4. जुलाई 2002 से पूर्व राजपूत तथा बैरवा दोनों जातियों के बच्चे विद्यालय आ रहे थे लेकिन जुलाई 2002 में राजपूत जाति के बच्चों ने विद्यालय आना बन्द कर दिया । (यद्यपि उपस्थिति पंजिका में कुछ राजपूत बच्चों के नाम अभी भी चढ़े हुए हैं, जिनके बारे में शिक्षक का कहना था कि वह उन्हें अब काट देगा) ।

नामांकन की इस गिरावट के संबंध में वहां कार्यरत शिक्षा सहयोगी का कहना था कि पूर्व वर्षों की गिरावट के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं इसी वर्ष (जुलाई 2002 में) आया हूं । उपस्थिति पंजिका के आधार पर पूर्व में नामांकन की गिरावट सामान्यतया अन्यत्र अध्ययन हेतु जाना है । अपने बच्चों को पाठशाला छुड़ाने के विषय में बैरवों की ढाणी के लोगों का कहना है कि पहले तो पूर्व शिक्षक के साथ बच्चे चले जाते थे । लेकिन अब पाठशाला दूर पड़ती है इसलिए हम पास की अन्य पाठशाला में भेज देते हैं ।

जुलाई 2002 में आई एकाएक गिरावट तथा राजपूत बच्चों के पाठशाला छोड़ देने का कारण घूघरी का वितरण है। दरअसल घूघरी पकाने वाली महिला बैरवा जाति से संबंध रखती है और राजपूत परिवारों का मानना है कि बैरवा महिला के हाथ से बनी हुई घूघरी हमारे बच्चे नहीं खा सकते । इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को वहां से हटाकर पास के अन्य सरकारी विद्यालयों में भेजना शुरू कर दिया है। चूंकि इससे पूर्व बच्चों को केवल गेहूं वितरित किया जाता था इसलिए यह समस्या पहले नहीं आई ।

इस समस्या के बारे में जब शिक्षक ने सरपंच तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से चर्चा की तो उन्होंने व शिक्षक ने समुदाय के लोगों को अपने बच्चों को भेजने के लिए समझाया और कहा कि बच्चे चाहें तो घूघरी ना खायें । लेकिन समुदाय के लोगों का कहना था कि जब तक ये महिला यहां घूघरी पकायेगी, वह अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे ।

इस विषय में जब गांव वालों से बातचीत की गई तो यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी जाति के आधार पर दलितों का तिरस्कार किया जाना जारी है । राजपूत बस्ती में रहने वाली एक महिला का कहना था कि ''हम राजा लोग हैं, चमारों के हाथ का बना कैसे खा सकते हैं ?'' एक पुरुष का कहना था कि हमें इस औरत से कोई दुश्मनी नहीं है क्योंकि यह पहले के मास्टर की विधवा है, लेकिन इसके हाथ का बना खाना हमें गवारा नहीं है । उनका कहना था, हमने इस महिला को समझाया था कि वह कोई और काम कर ले तथा घूघरी पकाने से मिलने वाले पारिश्रमिक का आधा पैसा भी ले ले लेकिन महिला इसके लिए रजामन्द नहीं थी । बच्चों के द्वारा घूघरी न खाने तथा पाठशाला भेजने के संबंध में उनका कहना था कि छोटे बच्चों को घूघरी खाने से कैसे रोका जा सकता है, वे तो बैरवों के बच्चों को खाते देखकर खाने की जिद करेंगे ही । अभी जो दो बच्चे पांचवी में जा रहे हैं वे तो बड़े हैं इसलिए नहीं खाते, लेकिन छोटे बच्चे तो खाने की ही जिद करते हैं । एक अन्य व्यक्ति का कहना था कि या तो इस महिला को यहां से अन्यत्र लगा देना चाहिए या पूर्व की भांति गेहूं का वितरण किया जाना चाहिए । यद्यपि गांव के लोगों का यह भी मानना है कि छोटे बच्चों को दूर भेजने पर समस्या भी होती है लेकिन उनका कहना था कि अपनी परम्पराओं को कैसे छोड़ा जा सकता है।

वस्तुत: घूघरी पकाने के लिए कार्यरत महिला पूर्व शिक्षक की पत्नी है। पाठशाला में कार्य करते हुए अपने पति की दुर्घटना में असामायिक मृत्यु के कारण पंचायती राज सचिव से अनुरोध करने पर उसे यहां घूघरी पकाने पर लगा दिया गया था । उसे बाद में किसी विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर लगाया जाना है ।

इस संपूर्ण प्रकरण के विषय में वहां घूघरी पकाने में कार्यरत महिला का कहना है कि मैं तो विधवा हूं, मेरे दो छोटे बच्चे (एक छ: माह तथा एक 3 वर्ष का) हैं, अगर मुझे कहीं नौकरी मिल जायेगी तो मेरे बच्चों का अच्छी तरह पालन पोषण हो जायेगा । कहीं और नौकरी मिल जाएगी इस कारण ही वह यहां घूघरी पकाने के कार्य को नहीं छोड़ना चाहती, अन्यथा बच्चों की संख्या कम होने के कारण उसे पारिश्रमिक भी लगभग 250 रुपये प्रतिमाह ही मिल पाता है । इसलिए कभी कभी तो वह घर से ही घूघरी बना कर ले आती है। यह महिला अधिक पढ़ी लिखी भी नहीं है, इसके अतिरिक्त इस महिला के घर की आर्थिक़ स्थिति भी काफी कमजोर है । उसके ससुर कुछ पशु पालते हैं, इसके अतिरिक्त दूसरों की खेती करते हैं (बटाई पर लेकर) । उसके पिता अवश्य ग्राम सेवक हैं जिनके प्रोत्साहन की वजह से ही वह मंत्री जी से जाकर मिली थी।

समुदाय पाठशाला संबंध

इस घूघरी प्रकरण के कारण पाठशाला तथा समुदाय के संबंधों में अत्यन्त कटुता आ गई है । आज स्थिति यहां तक है कि घूघरी पकाने के लिए महिला को लकड़ी भी अपनी बस्ती से साथ लानी पड़ती है, समुदाय वाले उसे लकड़ी भी नहीं देते ।

इसके अतिरिक्त समुदाय वाले घूघरी पकाने हेतु बाहर बने कच्चे चूल्हे को भी एक बार तोड़ चुके हैं (यद्यपि गांव वाले इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं) । गांव वाले तो इस प्रकरण में पाठशाला बंद करवाकर वहां अस्पताल बनाने के बारे में भी विचार रहे थे । यहां कार्यरत शिक्षक का कहना है कि गांव वाले कहते थे कि हमने अपने बच्चे छुड़ा लिए हैं, बैरवों के बच्चे कम हो गए हैं तो पाठशाला स्वत: बन्द हो जायेगी, फिर यहां अस्पताल बना देंगे।

कक्षा शिक्षण

वर्तमान में पाठशाला में पहली से पांचवी तक कक्षाऐं चल रही हैं । बच्चों को राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल की पुस्तकें निशुल्क पाठशाला से उपलब्ध कराई जाती हैं, इसके अतिरिक्त कापियां, बैग तथा अन्य सामग्री बच्चों को स्वयं खरीदनी पड़ती है। अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने के लिए चौथी कक्षा तक तो शिक्षक

पाठशाला स्तर पर ही परीक्षा आयोजित करता है लेकिन पांचवी कक्षा के बच्चों को समीप के प्राथमिक विद्यालय से परीक्षा दिलवाई जाती है। इस वर्ष इस पाठशाला के नामांकित छ: बच्चे पांचवी की परीक्षा देंगे ।

इस पाठशाला में इस समय 30 बच्चे नामांकित हैं यदि इसमें पाठशाला छोड़ चुके राजपूत बच्चों को भी शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या 41 हो जाती है । प्रतिदिन सामान्यतया 15 से 20 बच्चे ही उपस्थित होते हैं । अवलोकन के दिन कुल 11 बच्चे उपस्थित थे जिनकी कक्षावार उपस्थिति इस प्रकार है -

कक्षा	नामांकन			उपस्थिति		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
I	1	9	10	1	1	2
II	3	1	4	2	-	2
III	1	6	7	1	2	2
IV	1	2	3	1	1	3
V	3	3	6	1	1	2
कुल			30			11

चूंकि इस विद्यालय में पांच कक्षाएं हैं तथा एक ही शिक्षक को पांचों कक्षाऐं पढ़ानी होती हैं इसलिए जब शिक्षक एक कक्षा के बच्चों को पढ़ाता है तो अन्य कक्षा के बच्चों को गृहकार्य करने के लिए कह देता है या कुछ याद करने के लिए । सामान्यतया शिक्षक पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ को पढ़ाकर पाठ के पीछे स्थित प्रश्नों को मौखिक रूप से बच्चों को बता देता है तथा उन्हें गृहकार्य में दे देता है। शिक्षक का कहना है कि बच्चे घर से कार्य करके नहीं लाते हैं इसलिए यहीं कक्षा में करवाना पड़ता है । जब शिक्षक किसी कक्षा के विद्यार्थी को कुछ पढ़ा रहा होता है तो अन्य बच्चे या तो गृहकार्य कर रहे होते हैं या चुप बैठकर इधर उधर देख रहे होते हैं। यदि कोई बच्चा कुछ बोलता है तो शिक्षक उसे डांट देता है । इसके अतिरिक्त बच्चे के कुछ समझ न पाने पर शिक्षक के चेहरे पर झुंझलाहट स्पष्ट दिखाई देती है जो उसके व्यवहार से परिलक्षित होती है । यथा-चौथी कक्षा का एक बच्चा जब भाग के सवाल को समझाने पर भी गलत करता है तो शिक्षक जोर से कहता है - ''तेरी समझ में नहीं आता क्या ?''

कक्षा कक्ष में दो ब्लैक बोर्ड हैं एक दीवार में तथा एक लकड़ी का । एक बोर्ड पर भारत का नक्शा बना हुआ है जिसे शिक्षक ने स्वयं बनाया है तथा दूसरे बोर्ड पर सुन्दर अक्षरों में प्रार्थना लिखी हुई है । आठ दिन के अन्तराल में दो बार पाठशाला में जाने पर दोनों बार ब्लैक बोर्ड वैसे के वैसे थे । इससे लगता है शिक्षक उनका उपयोग शायद बहुत कम करता होगा ।

अध्यापन के दौरान शिक्षक बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर ही कार्य करता है । बच्चे परस्पर भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं । एक दूसरे के मांगने पर सामग्री का आदान प्रदान करते हैं, इसके अतिरिक्त तीसरी कक्षा के एक बच्चे को प्रश्न आने पर उसके पूछने पर पांचवी कक्षा का बच्चा उसे समझा देता है । (इस घटना में एक बात गौर करने लायक यह है कि पांचवी कक्षा का बच्चा राजपूतों का है तथा तीसरी कक्षा का बच्चा बैरवा है। इससे यह झलकता है कि जाति के आधार पर भेदभाव बड़े लोगों के ही दिमाग की उपज है तथा बड़े ही बच्चों को भेदभाव करने के लिए उकसाते हैं) । पढ़ाने के दौरान शिक्षक भी बच्चों को आपस में सहयोग के लिए प्रोत्साहित करता है ।

सीखने-सिखाने की इस संपूर्ण प्रक्रिया में कुछ बातें स्पष्ट झलकती हैं । एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक का जोर बच्चों के सीखने या समझने पर न होकर उसका उद्देश्य केवल पाठ्यपुस्तक में दिये गये पाठों तथा उनके पीछे दिए गए प्रश्नों को पूरा कराना भर है । दूसरी बात यह कि बच्चों को सोचने या स्वयं करके देखने के अवसर न के बराबर उपलब्ध होते हैं क्योंकि शिक्षक पहले ही उन्हें उत्तर बता देता है और बच्चा उनको अपनी कापी में लिख लेता है । एक अन्य बात यह कि पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त कुछ करना या सोचना न तो शिक्षक चाहता है और न ही बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करता है । कुल मिलाकर बंधी हुई एक प्रचलित परिपाटी-ही वहां के अध्ययन-अध्यापन में दिखाई देता है । इसमें शिक्षक बच्चों को परीक्षा पास करने के लिए कुछ रटा देता है और परीक्षा के बाद जिन्हें बच्चे को भूल जाना है

इस प्रकार सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही ये पाठशाला इस उद्देश्य में कुछ हद तक सफल भी रही है । लेकिन ये पाठशाला केवल बच्चों को साक्षर करने या कुछ पढना लिखना सिखाने का ही माध्यम भर है । बल्कि वे यहां से प्राप्त ज्ञान का उपयोग बेहतर ढंग से जीवन यापन करने तथा स्वयं विचार कर निर्णय लेने में भी कर सकें - यह भी सुनिश्चित नहीं है। शिक्षक को सिर्फ एक बार अल्प अवधि प्रशिक्षण मिला है और वह भी छोटी कक्षाओं को पढ़ाने का । इस पर वह अकेला पांच कक्षाओं को संभाल रहा है ।

इस पाठशाला के प्रसंग में आया जातिभेद अपने पूरे विद्रूप में प्रकट हुआ है । जातिभेद किस प्रकार एक शिक्षा संस्था को ही ध्वस्त करने पर उतारू है, यह प्रसंग उस भयावह पहलू को उजागर करता है । यह भी कि किस प्रकार यह सोच बच्चों पर आरोपित किया जा रहा है और इस दुरभि चक्र में किस प्रकार एक कमजोर स्त्री दुघुर्ष संघर्ष कर रही है । ◆